रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102022-239347
CG-DL-E-06102022-239347

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 244] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 244] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

[मामला सं. एडी (ओआई)-04/2022]

विषय: ईरान और थाइलैंड से "सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत।

फा. सं. 6/05/2022- डीजीटीआर.—समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे "अधिनियम" के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे "नियमावली" के रुप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, मैसर्स गुजरात क्रीडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड) इसके बाद इसे "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" के रूप में भी कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी)इसके बाद इसे "प्राधिकारी" के रुप में भी कहा गया है) के समक्ष ईरान और थाइलैंड) इसके बाद इन्हें "संबद्ध देश" के रूप में भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए") इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा "विचाराधीन उत्पाद " के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए एक आवेदन दाखिल किया गया है।

2. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति, ईरान और थाइलैंड से पाटित आयातों के कारण से हो रही है और ईरान और थाइलैंड के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

3. वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद 'सिंथेटिक ग्रेड जियोलाइट 4ए" है, जिसे "जियोलाइट 4ए" के रुप में भी जाना जाता है।

4. जियोलाइट सुस्पष्ट संरचनाओं वाले माइक्रो पोरस क्रिस्टलीय ठोस होते हैं । आम तौर पर, उनमें उनकी बनावट और केटायन में सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन शामिल होती है। जल और/ अथवा अन्य मॉलिक्यूल उनके छिद्रों (पोर्स) के भीतर होते हैं। वे प्राकृतिक रूप से खनिजों के रूप में भी होते हैं और विश्व के अनेक भागों में व्यापक रूप से खनन किए जाते हैं। अन्य सिंथेटिक होते हैं और विभिन्न उद्योगों में विशिष्ट उपयोगों के लिए वाणिज्यिक रूप से निर्मित किए जाते हैं। जियोलाइट का सामान्य फार्मूला Nax[(AlO2)x(SiO2)y].zH2O के रूप में दिया गया है।

5. विचाराधीन उत्पाद एक डिटरजेंट निर्माणकर्ता के रूप में कार्य करता है, जो मुख्यत: पानी के एक मृदुकर्ता (सॉफ्टनर) के रूप में होता है, जिससे पानी मृदु हो जाता है और इससे उतने ही धुलाई प्रयास से कम साबुन की जरूरत पड़ती है क्योंकि कैल्शियम आयनों को साफ करने में साबुन बर्बाद नहीं होता।

6. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क वर्गीकरण 2842 1000 के उप शीर्ष के अंतर्गत, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1951 का क्रमांक 51) के अध्याय 28 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और इसकी विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर कोई बाध्यता नहीं है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने यह दावा किया है कि संबद्ध वस्तुएं, जो भारत में पाटित की जा रही हैं, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुओं के समान हैं। यह भी कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई ज्ञात महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध दशों से आयातित उत्पाद भौतिक और रासायनिक गुणों, निर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, कीमत, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय है। दोनों ही तकनीकी और वाणिजियक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं, संबद्ध दशों से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के "समान वस्तु" मानी जा रही हैं ।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

8. यह आवेदन मैसर्स गुजरात क्रीडो मिनरल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जीसीएमआईएल) द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उसने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुएं न तो आयात की हैं और न ही वह संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक अथवा भारत में संबद्ध वस्तुओं के किसी आयातक से संबद्ध हैं। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह भारत में प्रमुख उत्पादक (74 प्रतिशत से अधिक) है। एक अन्य उत्पादक मैसर्स कैमिकल इंडिया है, जिसने जांच की अवधि के दौरान घरेलू बाजार में समान उत्पाद का उत्पादन किया है।

9. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यह आवेदन पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) और नियम 5 (3) में निहित प्रावधानों के अनुसार घरेलू उद्योग द्वारा अथवा घरेलू उद्योग की ओर से किया गया है।

घ. पाटन के आरोप का आधार

क. सामान्य मूल्य

10. आवेदक ने यह दावा किया है कि थाइलैंड और ईरान के घरेलू बाजरों में संबंधित उत्पाद की कीमतों के साक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास किए गए थे। तथापि, थाईलैंड और ईरान के घरेलू बाजारों में जियोलाइट की वास्तविक सौदा- वार बिक्री कीमतों के बारे में प्रकाशित स्रोतों से कोई अधिकृत और सही सही सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि वह थाइलैंड और ईरान से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं की प्रतिनिधिक कीमत के आंकड़े जुटा पाने में भी असमर्थ था। इस प्रकार, आवेदक ने बिक्री,

सामान्य एवं प्रशासनिक व्ययों तथा तर्कसंगत लाभों को शामिल करने के बाद विधिवत समायोजन करके घरेलू उद्योग की लागत पर विचार करने के बाद इन देशों में उत्पादन की लागत के अनुमानों के आधार पर थाइलैंड और ईरान में सामान्य मूल्य का निर्माण किया है।

ख. निर्यात कीमत

11. आवेदक ने निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए बाजार की सूचना के आधार पर भारत में आयातों के लिए सूचित सीआईएफ कीमत को अपनाया है। चूंकि डीजीसीआई एंड एस के आंकड़े डीजीटीआर को भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, अत: आवेदक द्वारा प्रदान की गई सूचना को ही वर्तमान जांच की इस अवस्था में निर्यात कीमत का निर्धारण करने के लिए अपनाया गया है।

12. चूंकि कीमतें सीआईएफ कीमतें है, अत: इनका समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग चार्ज, कमीशन, बंदरगाह व्यय तथा बैंक प्रभारों के साथ समायोजन किया गया है। आवेदक द्वारा दावा की गई निवल निर्यात कीमत के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

ग. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना बाह्य स्तर पर की गई है, जो प्रथम दृष्ट्या यह दर्शाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से अधिक है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है। ऐसे पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं का, भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है।

ड. क्षति और कारणात्मक संबंध का साक्ष्य

14. आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर घरेलू उद्योग को क्षति के आकलन के लिए विचार किया गया है। आवेदक ने प्रतिकूल कीमत प्रभाव के रुप में पाटित आयातों के कथित पाटन के कारण क्षति होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। विशेष रुप से, आवेदक ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के संबंध में उन्हें कीमत दवाब और कीमत ह्रास का सामना करने के बारे में कहा है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उनका निष्पादन कम उत्पादन, कम बाजार अंश, लाभों में गिरावट, नकदी लाभ और निवेशों पर प्रतिलाभ के संदर्भ में बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हो रही वास्तविक क्षति के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं।

च. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग और उसकी ओर से विधिवत प्रमाण सहित प्राप्त आवेदन के आधार पर, और घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट किए जाने पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन के साक्ष्य, घरेलू उद्योग को क्षति और ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध तथा नियामावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की एक ऐसी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगाया जाता है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, एक जांच शुरू करते हैं।

छ. संबद्ध देश

16. यह आवेदन थाइलैंड और ईरान से विचाराधीन उत्पाद के पाटन के संबंध में दाखिल किया गया है।

ज. जांच की अवधि (पीओआई)

17. आवेदक ने जांच की अवधि के रुप में दिनांक 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि (12 माह) का प्रस्ताव किया है। क्षति जांच की अवधि में वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21 और जांच की अवधि शामिल होगी ।

झ. प्रक्रिया

18. नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का वर्तमान जांच के लिए अनुसरण किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

19. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विशेष परिस्थितियों को देखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी को सभी पत्राचार, ई-मेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का विवरणात्मक भाग सर्च करने योग्य पीडीएफ/ एम एस फार्मेट में होना चाहिए और डेटा फाइलें एम एस एक्सल फार्मेट में हों।

20. संबद्ध देशों में ज्ञात निर्यातकों, भारत में दूतावासों के जरिए संबद्ध देशों की सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबद्ध समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं विहित ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है ।

21. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और विहित ढंग से, ऊपर पैरा 19 में दिए गए ई-मेल पतों पर इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है ।

22. प्राधिकारी के समक्ष कोई भी गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को उसका एक अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

23. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की अद्यतन सूचना के लिए डीजीटीआर की आधिकारिक वेबसाइट, अर्थात http://www.dgtr.gov.in पर नियमित रूप से नजर रखें ।

ट. समय-सीमा

24. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार नोटिस प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों के भीतर ईमेल पतों adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, dd13-dgtr@gov.in और ad12-dgtr@gov.in . पर ई-मेल के माध्यम से भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाता है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेज आमंत्रित करने संबंधी नोटिस जिस तारीख को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा नोटिस भेजा गया था अथवा निर्यातक देश के उपयुक्त राजनायिक प्रतिनिधि को प्रदान किया गया था, उसके एक सप्ताह के भीतर उसे प्राप्त किया हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

25. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्द्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है ।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

26. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध में जारी व्यापार सूचना के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/ अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है ।

27. प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के उत्तर सहित कोई अनुरोध (उसके साथ संलग्न परिशिष्ट/ अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों द्वारा गोपनीय और अगोपनीय पाठ अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

28. "गोपनीय" या "अगोपनीय" अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ के ऊपरी हिस्सेपर स्पष्ट रुप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत की गई सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

29. गोपनीय पाठ में ऐसी सभी सूचना शामिल होगी, जो गोपनीय प्रकृति की है और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए उस सूचना के आपूर्तिकर्ता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी सूचना, जिसके

गोपनीय प्रकृति की होने का दावा किया गया है अथवा ऐसी सूचना, जिसे पर अन्य कारणों से गोपनीय होने का दावा किया गया है, तो उस सूचना के आपूर्तिकर्ता को आपूर्ति की गई सूचना के साथ में उचित कारण बताते हुए एक विवरण प्रस्तुत करना होगा कि क्यों ऐसी सूचना प्रकट नहीं की जा सकती ।

30. अगोपनीय पाठ को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय पाठ की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त रुप से विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

31. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

32. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण का विवरण दिए बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

33. प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर और प्रदान की गई सूचना के गोपनीय होने की जरूरत को स्वीकार करने पर, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को इसे प्रकट नहीं करेंगे ।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

34. नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अगोपनीय पाठ के साथ सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकते हैं। इलैक्ट्रॉनिक माध्यम में सार्वजनिक फाइल को रखने की प्रविधियां तैयार की जा रही हैं ।

ढ. असहयोग

35. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2022

[CASE NO. AD (OI)-04/2022]

Subject : Initiation of the Anti- dumping duty Investigation concerning imports of “Synthetic Grade Zeolite 4A” from Iran and Thailand.

F. No. 6/05/2022-DGTR.—M/s. Gujarat Credo Mineral Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “domestic industry”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the "Authority") in accordance with the Customs Tariff Act,1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Act") and the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury)

Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the "Rules"),for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on imports of “Synthetic Grade Zeolite 4A” (hereinafter also referred to as the ‘subject goods’ or the ‘product under consideration’) originating in or exported from Iran and Thailand (hereinafter also referred to as the “subject countries”).

2. The applicant has claimed that the injury to the domestic industry is being caused due to the dumped imports from Iran and Thailand and has requested for imposition of anti-dumping duty on the imports of the subject goods originating in or exported from Iran and Thailand.

A. Product Under Consideration (PUC)

3. The product under consideration in the present investigation is “Synthetic Grade Zeolite 4A” also known as “Zeolite 4A”.

4. Zeolites are micro porous crystalline solids with well-defined structures. Generally, they contain silicon, aluminum, and oxygen in their framework and cations, water and/or other molecules within their pores. They also occur naturally as minerals and are extensively mined in many parts of the world. Others are synthetic and are made commercially for specific uses in various industries. The general formula of zeolite is given as Nax[(AlO2)x(SiO2)y].zH2O.

5. The product under consideration is a detergent builder primarily as a water softener resulting in softening of water, which requires less soap for the same cleaning effort, as soap is not wasted mopping up calcium ions”.

6. The product under consideration is classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), under sub-heading of the custom classification 2842 1000. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

B. Like Article

7. The applicant has claimed that the subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. It has been further stated that there is no known difference in the product produced by the domestic industry and those exported from the subject countries. The applicant has claimed that the product produced by the domestic industry and imported from the subject countries is comparable in terms of physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two interchangeably. For the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicant are being treated as "like article" of the subject goods imported from the subject countries.

C. Domestic Industry and Standing

8. The application has been filed by M/s Gujarat Credo Mineral Industries Limited (GCMIL).The applicant has claimed that it has neither imported the subject goods from the subject countries nor is related to any exporter or producer of the subject goods in the subject countries or any importer in India. The applicant has also claimed that it is the major producer (more than 74%) in India. Another producer is M/s. Chemical India who has produced like product in the domestic market during the POI.

9. On the basis of information available, the Authority notes that applicant constitutes eligible domestic industry within the meaning Rule 2(b), and the application satisfies the requirements of standing under Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules.

D. Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value

10. The applicant has claimed that efforts were made to get evidence of price of product concerned in the domestic markets of Thailand and Iran. However, no reasonable, authentic and accurate information could be obtained from published sources about the actual transaction-selling price of zeolites in the domestic markets of Iran and Thailand. The applicant has further claimed that it was also unable to gather data of representative price of the subject goods when exported from Iran and Thailand to an appropriate third country. Thus, the applicant has constructed normal value in Iran and Thailand on the basis of estimates of cost of production in these countries considering the cost

of the domestic industry duly adjusted after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Export Price

11. The applicant has adopted the CIF price reported for imports in India, as per market intelligence, for determination of export price. Hence, the information provided by the applicant has therefore, been adopted for ascertaining export price at this stage of the instant investigation.

12. Since the prices are CIF prices, the same have been adjusted with ocean freight, marine insurance, handling charges, commission, port expenses and bank charges. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export prices claimed by the applicant.

c. Dumping Margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is not only above the de-minimis level but also significant. There is sufficient prima facie evidence that the subject goods from the subject countries are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

E. Evidence of injury and causal link

14. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has furnished evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of dumped imports in the form of adverse volume and price effect. In particular, the applicant has cited increased market share of dumped imports from the subject countries and decline in the market share of the domestic industry, price undercutting, suppression suffered by them on account of dumped imports of subject goods from the subject countries. The applicant has claimed that its performance has been severely impacted in the form of significant losses, cash losses and negative return on capital employed. There is sufficient prima facie evidence of material injury being caused to the domestic industry by dumped imports of the subject goods from the subject countries.

F. Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted, about the dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

G. Subject Countries

16. The application has been filed in respect of dumping of the product under consideration from Thailand and Iran.

H. Period of Investigation (POI)

17. The applicant has proposed 1st April 2021 to 31st March 2022 (a period of 12 months) as the period of investigation. The injury investigation period will cover the periods, 2018-19, 2019–20, 2020-21 and POI and the period of investigation.

I. Procedure

18. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

19. In view of the special circumstances arising out of COVID-I9 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in . It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF / MS Word format and data files are in MS Excel format.

20. The known exporters, the Governments of the subject countries through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

21. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 19 above.

22. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

23. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of DGTR i.e., www.dgtr.gov.in for any updated information with respect to this investigation.

K. Time-Limit

24. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg13-dgtr@gov.in, adv13-dgtr@gov.in, jd12-dgtr@gov.in and ad12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per as per Rule 6(4) of the Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time-limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

25. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time-limit.

L. Submission of information on confidential basis

26. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non- confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

27. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

28. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

29. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

30. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority. The other interested parties can offer their comments on the confidentiality claimed within 7 days of receiving the non-confidential version of the document.

31. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or in summary form, it may disregard such information.

32. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

33. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of Public File

34. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

N. Non-cooperation

35. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

ANANT SWARUP, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2022.10.06 16:03:56 +05'30'